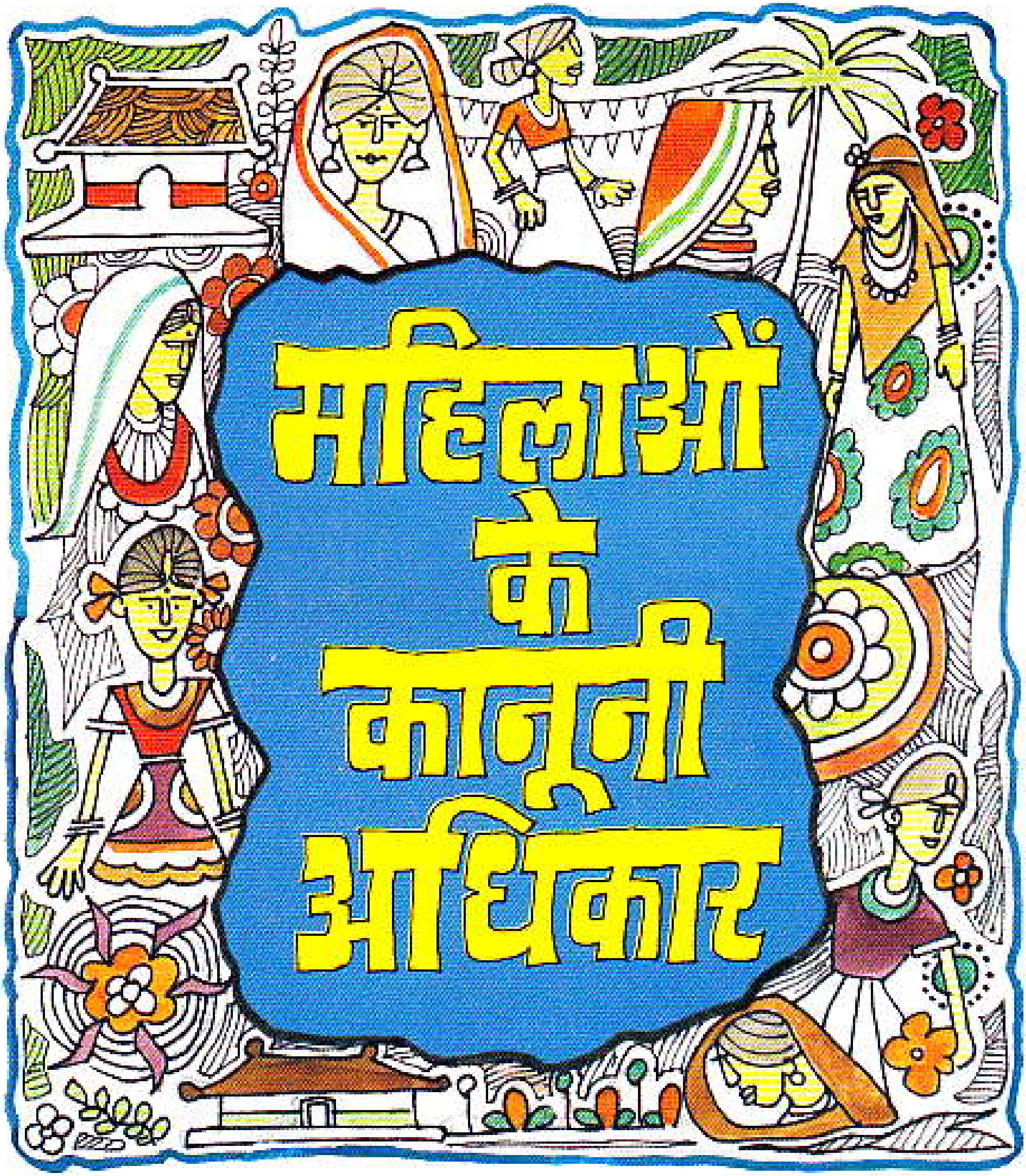

महिलाओं के कानूनी अधिकार

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा इन्दौर (म.प्र.)

कानूनी जागरूकता - 23

महिलाओं के कानूनी अधिकार

कोड नं.	:	004 (सतत शिक्षा)
प्रस्तुति	:	तारा जायसवाल
चित्रांकन	:	दीपक मालवी
संस्करण	:	प्रथम, अगस्त 2006
प्रतियाँ	:	1000
मूल्य	:	12/-

© प्रकाशकाधीन

प्रकाशक	:	राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर भारतीय ग्रामीण महिला संघ, म.प्र. शाखा महालक्ष्मी नगर, सेक्टर आर, इन्दौर- 452010 फोन : 2551917, 2574104, फैक्स : 0731-2551573 Email : srcindore@dataone.in literacy@satyam.net.in
मुद्रक	:	कलर ग्राफिक्स, राजेन्द्र नगर, इंदौर

आमुख

शासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। प्रायः महिलाओं को उनसे संबंधित कानून एवं संविधान द्वारा दिए गए कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं रहती है। कई बार उनके पास जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोत भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। इस कारण वे शोषण एवं अत्याचार से पीड़ित रहती हैं।

नवसाक्षर महिलाओं को कानून संबंधी सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत पुस्तिका **'महिलाओं के कानूनी अधिकार'** का निर्माण किया गया है। महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं, वे उन्हें कैसे प्राप्त कर सकती हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या है आदि बातों को पुस्तक में सरल भाषा में हमारे केन्द्र की कार्यक्रम समन्वयक **श्रीमती तारा जायसवाल** द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एडवोकेट **वी. के. व्यास** द्वारा पांडुलिपि का अवलोकन किया गया एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। चित्रांकन **श्री दीपक मालवी** द्वारा किया गया है। केन्द्र इन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

कुन्दा सुपेकर
निदेशक
राज्य संसाधन केन्द्र
प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.)

अध्याय - एक

महिलाओं के अधिकार

हमारे समाज में महिलाओं एवं पुरुषों में जन्म से लेकर मृत्यु तक भेदभाव किया जाता है। महिला को पराया धन मानकर उसके पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा सभी में भेद किया जाता है।

? क्या हमारे देश के कानून के अन्तर्गत महिला-पुरुष के बीच भेदभाव किया जाना उचित माना जाता है ?

नहीं, हमारे देश के संविधान में महिला-पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। महिला-पुरुष को समान माना गया है। देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

? समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं?

- समानता के अधिकार के अन्तर्गत सभी नागरिकों को समान सुविधाएँ पाने का अधिकार है।
- सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों एवं पदों को पाने का समान अधिकार है। सरकारी नौकरी देते समय जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समान योग्यता होने पर महिला-पुरुष दोनों को सरकारी नौकरी पाने का समान अधिकार है। लिंग के आधार पर भेदभाव करना अपराध है।
- इसके अलावा पुरुष के समान काम करने पर महिला को पुरुष के समान वेतन भी दिया जाना चाहिए।

विवाह संबंधी कानूनी अधिकार

? कानूनी तौर पर विवाह के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है?

कानूनी तौर पर विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निश्चित की गई है। इससे कम उम्र के लड़के-लड़कियों का विवाह करना गैरकानूनी है। इससे कम उम्र में विवाह करने या कराने पर सजा तथा जुर्माने का प्रावधान कानून द्वारा किया गया है।

? क्या लड़के-लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं ?

बालिग होने पर लड़के-लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। इसके लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

? क्या अलग-अलग जाति या धर्म को मानने वाले लड़के-लड़की विवाह कर सकते हैं ?

हाँ, विशेष विवाह कानून के अनुसार अलग-अलग जाति या धर्म के लड़के-लड़की विवाह कर सकते हैं। परन्तु विवाह के लिए दोनों का बालिग होना जरूरी है।

? क्या विवाह के लिए कुछ शर्तें कानून द्वारा निश्चित की गई हैं ?

- विवाह के समय लड़के-लड़की दोनों बालिग होना चाहिए।

- हिन्दू होने पर दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए।
- हिन्दू होने पर विवाह के समय दोनों में से किसी का कोई जीवित जीवनसाथी (पति या पत्नी) नहीं होना चाहिए।
- हिन्दू होने पर यदि दोनों में से किसी का भी कोई जीवनसाथी जीवित है, तो जरूरी है कि उससे कानूनी तौर पर तलाक ले लिया गया हो।
- दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हों।
- विवाह स्वेच्छा से किया गया हो, किसी दबाव या भय से न किया गया हो।

? क्या महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार है ?

हाँ, कानून द्वारा महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। नीचे दी गई परिस्थितियों में तलाक लिया जा सकता है -

- पति द्वारा किसी दूसरी स्त्री से शारीरिक संबंध रखने पर पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है।
- विवाह के बाद पति बलात्कार का दोषी हो।
- यदि पति ने बिना वजह पत्नी को 2 साल या अधिक समय से छोड़ दिया हो।
- यदि पति, पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता हो। शारीरिक या मानसिक रूप से सताता हो। ये दोनों ही कारण तलाक का आधार बन सकते हैं।
- पति ने धर्म बदल लिया हो या वह संन्यासी हो गया हो।

- पति सात साल से लापता हो।
- पति लाइलाज पागलपन का शिकार हो।
- पति को भयानक तथा लाइलाज कोढ़ की बीमारी हो।
- यदि किसी लड़की का छोटी उम्र में 15 साल से पहले विवाह हो गया हो। 18 साल की उम्र के पहले यदि इस विवाह को मानने से इंकार कर दे।
- पति-पत्नी आपसी समझौते से भी तलाक ले सकते हैं।

? तलाक किस तरह लिया जा सकता है ?

तलाक द्‌वारा संबंध विच्छेद हो जाता है, इसीलिए बहुत सोच-समझकर तलाक के लिए कदम उठाना चाहिए।

- तलाक की अर्जी उस जिला कोर्ट में दी जा सकती है, जहाँ विवाह हुआ हो या जिस जिले में दूसरा पक्ष (पति) रहता हो। जहाँ पति-पत्नी आखरी बार साथ रहे हों।
- तलाक की अर्जी देने के बाद पति-पत्नी दोनों की बात सुनी जाती है।
- कोर्ट दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करती है।
- यदि समझौता होना संभव न हो तो तलाक की कार्यवाही की जाती है।
- विवाह के एक साल बाद ही तलाक की अर्जी दी जा सकती है।
- विशेष परिस्थितियों में विवाह के एक साल पहले भी तलाक की अर्जी दी जा सकती है।

? क्या पत्नी, पति से खर्चा-पानी (गुजारा भत्ता) ले सकती है ?

हिन्दू विवाह कानून के अनुसार पति से अलग रहने पर या तलाक लेने पर नीचे दी गई परिस्थितियों में पत्नी को पति से खर्चा पानी (गुजारा भत्ता) मिल सकता है।

- पत्नी तलाक के दौरान तथा तलाक के बाद अपने पति से खर्चा पानी ले सकती है। इसके लिए उसे उसी अदालत में (जहाँ केस चल रहा है) एक अर्जी देनी होगी।
- पत्नी को खर्चा तभी मिलेगा जब वह खुद अपना खर्च नहीं उठा सकती हो।
- जब तक वह दोबारा शादी नहीं कर लेती है तब तक उसे खर्च मिलेगा।
- किसी दूसरे व्यक्ति से उसका शारीरिक संबंध न हो अर्थात् वह बदचलन न हो।

? पति से पत्नी को कितना खर्चा-पानी मिल सकता है ?

पत्नी को पति से कितना खर्चा मिलेगा यह पत्नी की आवश्यकताओं पर तथा पति की आमदनी या उसकी जमीन-जायदाद पर निर्भर है। खर्च की रकम अदालत इकट्ठे या मासिक किस्त के रूप में देने का आदेश दे सकती है।

? तलाक के बाद क्या बच्चा माँ के पास रह सकता है ?

कोर्ट बच्चे के हित को देखते हुए तय करती है कि तलाक के बाद बच्चा किसके पास रहेगा, क्योंकि बच्चों का हित सर्वोपरि होता है।

- अगर बच्चा छोटा है तो वह सात साल का होने तक माँ के पास रह सकता है।
- पाँच साल की उम्र के बाद कोर्ट यह देखती है कि बच्चे की देखभाल माँ या पिता दोनों में से कौन बेहतर ढंग से कर सकता है।
- बच्चा खुद किसके पास रहना चाहता है।
- यदि माँ का चरित्र ठीक नहीं है या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो कोर्ट बच्चे को माँ को सौंपने से इंकार कर सकती है।

(?) क्या बच्चों के लिए भी खर्चा-पानी मिल सकता है ?

(उ) यदि तलाक के बाद बच्चे माँ के पास रहते हैं तो कोर्ट बच्चों के पालन-पोषण के लिए अलग से खर्च दिलवाती है।

(?) यदि किसी महिला को दहेज के लिए सताया जाए तो वह क्या कर सकती है ?

(उ)
- दहेज निषेध कानून के अनुसार दहेज लेना-देना दोनों ही कानूनी अपराध है। दहेज माँगना या दहेज लेने-देने में सहायता करना, इसके लिए विज्ञापन करना भी अपराध है। इसके लिए कानून द्वारा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- दहेज के लिए यदि किसी स्त्री पर अत्याचार किए जाते हैं तो वह खुद थाने जाकर शिकायत लिखवा सकती है। इसके अलावा लड़की के माता-पिता, भाई-बहन या कोई अन्य रिश्तेदार इसकी शिकायत थाने में कर सकते हैं।

? दहेज संबंधी अपराधों की शिकायत और कौन–कौन कर सकते हैं?

- कोई पुलिस आफिसर,
- सरकारी मान्यता प्राप्त समाजसेवी संस्था,
- यदि कोर्ट को दहेज संबंधी मामले की सूचना मिले तो वह खुद भी मुकदमा दर्ज कर सकती है।

? दहेज में दी गई सम्पत्ति, चीजों को क्या ससुराल वाले अपने कब्जे में रख सकते हैं ?

- शादी के पहले, शादी के समय या बाद में जो उपहार वधू को दिए जाते हैं। उन्हें वधू को देना जरूरी है। शादी के समय वधू को दिए गए उपहारों की सूची बना लेनी चाहिए। सूची पर वर-वधू दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस सूची पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी होना जरूरी हैं। दहेज में मिले उपहार वधू की अमानत होती है। वह इसका किसी भी तरह उपयोग कर सकती है।
- दहेज में मिले उपहारों को वधू को न लौटाने पर कानून द्वारा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

? क्या विधवा दोबारा शादी कर सकती है?

हाँ, विधवा चाहे तो दोबारा शादी कर सकती है।

? क्या पति दूसरी शादी कर ले तो वह कानूनी होगी ?

हिन्दू विवाह कानून के अनुसार पत्नी के जीवित रहते हुए पति तब तक दूसरी

शादी नहीं कर सकता जब तक कि वह उससे कानूनी तौर पर तलाक न ले ले।

(?) यदि पति दूसरी शादी कर ले तो पहली पत्नी क्या कार्यवाही कर सकती है ?

(उ) यदि अपनी पत्नी के जीते जी बिना उससे तलाक लिए हिन्दू पति दूसरी शादी कर ले तो वह शादी गैरकानूनी होगी। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने या कोर्ट में शिकायत कर सकती है।

- पति, पत्नी की सहमति से भी दूसरी शादी करता है तो भी वह शादी गैरकानूनी मानी जाएगी।
- दूसरी पत्नी को वास्तव में कोई हक कभी नहीं मिलेगा।
- दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को पिता की सम्पत्ति में वे सभी हक मिलेंगे जो जायज संतान को मिलते हैं।
- पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करने पर पति को सात साल की कैद व जुर्माने की सजा हो सकती है।
- यदि पति सरकारी नौकरी करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
- यदि पति ने धोखे से दूसरी शादी की है और पहली पत्नी की बात छुपाई हो तो दूसरी पत्नी मुआवजा लेने के लिए मुकदमा चला सकती है।

(?) बाल-विवाह करने पर क्या कानूनी कार्यवाही की जाएगी ?

(उ) नाबालिग लड़के-लड़की यदि अपनी मर्जी

से विवाह करते हैं तो उन्हें 15 दिन की कैद, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों ही हो सकता है।

यदि माँ-बाप या अन्य रिश्तेदार बाल-विवाह कराते हैं तो उन्हें -

- तीन माह की कैद या
- 1000 रुपये तक का जुर्माना या
- कैद या जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं।

? बाल-विवाह की शिकायत किससे की जा सकती है ?

जिस व्यक्ति का बाल-विवाह कराया जा रहा है वह खुद इसकी शिकायत थाने में कर सकता है या उसके रिश्तेदार या दोस्त भी बाल-विवाह की शिकायत कर सकते हैं।

पुलिस जाँच-पड़ताल कर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगी। मजिस्ट्रेट इस विवाह को रोकने का आदेश देगा। यदि फिर भी संबंधित लोग बाल-विवाह करवाते हैं तो उन्हें सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।

? क्या कोई महिला किसी बच्चे को गोद ले सकती है ?

हिन्दू महिला चाहे वह अविवाहित है, तलाकशुदा या विधवा है बच्चे को गोद ले सकती है। परन्तु इसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा-

- किसी बच्चे को गोद लेने या देने के लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति

जरूरी है। विवाहित होने पर पति बच्चा गोद ले या दे सकता है।

- उनका पहले कोई बेटा, पोता, पड़पोता न हो, तो वे किसी लड़के को गोद ले सकते हैं।
- जिनकी पहले कोई बेटी, पोती या पड़पोती न हो तो वे किसी लड़की को गोद ले सकते हैं।
- अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिला भी किसी बच्चे को गोद ले सकती है।
- गोद लेने वाली महिला पागल न हो।
- उसकी उम्र 21 साल से अधिक हो।
- विपरीत लिंग होने पर माँ और बच्चे की उम्र में 21 साल का अंतर होना चाहिए।
- हिन्दू महिला के अतिरिक्त मुस्लिम या ईसाई महिला को किसी को भी गोद लेने का अधिकार नहीं है। वह चाहे तो किसी बच्चे की संरक्षक बन सकती है।
- गोद लिए जाने वाले बच्चे की उम्र 15 साल से कम हो और उसकी शादी न हुई हो।
- बच्चे को पहले किसी ने गोद न लिया हो।
- बच्चा हिन्दू होना चाहिए।
- एक बच्चे को दो बार गोद नहीं लिया या दिया जा सकता है।

अध्याय - तीन

सम्पत्ति का अधिकार

? क्या कानून द्वारा महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार दिया गया है ?

हाँ, कानून के अनुसार हर महिला को अपने नाम से सम्पत्ति खरीदने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार है।

? क्या पिता की सम्पत्ति में बेटी को अधिकार है ?

यदि हिन्दू पिता ने वसीयत न लिखी हो तो बेटी को पिता की सम्पत्ति में बेटे के बराबर ही हिस्सा मिलेगा।

इसके अलावा मृतक की सम्पत्ति में से उसकी पत्नी, माँ, मृतक बेटों के बेटे बेटियों तथा मृतक बेटी के बेटे-बेटियों, विधवा बहुओं और उसके मृतक पोतों के बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा।

- मुसलमान महिलाओं पर इस्लामी कानून लागू होता है। इस कानून के अनुसार महिलाएँ वारिस बन सकती हैं-

- बेटी के रूप में
- विधवा बीवी के रूप में
- पोती के रूप में
- माँ के रूप में
- दादी के रूप में - अगर मृत पोते के पिता या दादा जिन्दा न हों।
- नानी के रूप में - मृत नवासे की माँ या नाना के जिन्दा न होने पर।

(?) क्या महिलाओं को अपने हिस्से की सम्पत्ति को बेचने या किसी के नाम वसीयत करने या देने का अधिकार है ?

हाँ, हिन्दू महिला अपने हिस्से की सम्पत्ति को बेच सकती है या किसी को भी दे सकती है।

- विधवा महिला यदि दूसरी शादी कर ले तो भी उसके अपने मृतक पति से मिली सम्पत्ति उसके ही पास रहेगी ?

(?) क्या खानदानी मकान से पुरुष वारिस महिलाओं को निकाल सकता है ?

कानूनन पुरुष वारिस खानदानी मकान से माँ, दादी, अविवाहित बहन, भाई, मृतक भाई के बीवी-बच्चों, विधवा या परित्यक्ता (छोडी हुई) बहनों को नहीं निकाल सकता ।

(?) यदि पुरुष वारिस खानदानी मकान से परिवार की किसी महिला को निकालने की कोशिश करे, तो वह महिला क्या कार्यवाही कर सकती है?

ऐसी स्थिति में उस महिला को तुरन्त कोर्ट में अर्जी देना चाहिए। कोर्ट उसे ऐसा करने से रोक सकती है।

(?) क्या कोई महिला खानदानी मकान का बँटवारा करा सकती है ?

नहीं, परिवार का कोई पुरुष सदस्य बँटवारे की माँग करे तभी मकान का बँटवारा हो सकता है। बँटवारा होने पर महिला वारिसों को उनका हिस्सा देना होगा।

? वसीयत कैसे लिखी जाती है ?

☞ यदि आप अपनी जायदाद किसी के नाम करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रकार से वसीयत लिखें-

- अपना नाम
- अपने पति या पिता का नाम
- अपना पूरा पता
- जिसे अपनी जायदाद देना चाहते हैं उसका नाम व पूरा पता लिखें।
- वसीयत की जाने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा दें।
- यह जरूर लिखें कि आप बिना किसी दबाव के पूरे होश में अपनी मर्जी से वसीयत लिख रहे हैं।
- वसीयत पर अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) कर तारीख डाल दें।
- वसीयत पर दो गवाहों के हस्ताक्षर और पते होने चाहिए।
- केवल वसीयत लिखने से कोई आपकी सम्पत्ति का उसी समय हकदार नहीं हो जाता है।
- व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही जायदाद किसी को मिलती है।
- वसीयत साधारण कागज पर लिखी जा सकती है। यदि इसका रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करवा लें तो उपयुक्त होगा। इससे वसीयत गुम होने या गलत हाथों में पड़ने का खतरा नहीं रहेगा।
- एक बार वसीयत लिख देने के बाद वसीयत बदलकर दूसरी वसीयत भी लिखी जा सकती है।

कामकाजी महिलाओं के अधिकार

? क्या कानून द्वारा महिलाओं के लिए पुरुषों से कम मजदूरी निश्चित की गई है?

नहीं, समान काम के लिए समान वेतन कानून के अनुसार एक जैसे काम के लिए महिला को पुरुष के समान मजदूरी या वेतन मिलना चाहिए।

सरकार द्वारा न्यूनतम (कम से कम) मजदूरी या वेतन निश्चित किया गया है। यह मजदूरी अस्थायी मजदूरों को, दिहाड़ी पर काम करने वालों पर लागू है। चाहे वे कारखाने में काम करते हों या सड़क, भवन बनाने का काम करते हों या खेत में काम करते हों। बीड़ी बनाने वाले मजदूरों तथा खदान में काम करने वाले मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए।

? मालिक एक दिन में कितने घंटे काम ले सकता है ?

- एक दिन में काम के लिए 9 घंटे निश्चित किए गए हैं। इसमें आराम का समय भी शामिल है।
- महिलाओं से कारखानों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक काम कराया जा सकता है। इसके बाद रात में काम नहीं कराया जा सकता है।

- महिलाओं से एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है।
- 5 घंटे से अधिक लगातार काम नहीं कराया जा सकता है। कारखानों में महिलाओं से ओवर टाइम काम नहीं लिया जा सकता है।
- हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर मिलना चाहिए।

(?) महिलाओं को जचकी के समय कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलना चाहिए?

- कामकाजी महिलाओं को जचकी (प्रसूति) के 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद, इस तरह कुल मिलाकर 12 सप्ताह की छुट्टी दी जानी चाहिए। जचकी के बाद 12 सप्ताह की छुट्टी एक साथ ली जा सकती है। जचकी के 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद तक किसी महिला से काम लेना कानूनी अपराध है।
- यदि जचकी के समय मालिक डॉक्टरी इलाज की सुविधा नहीं दे सकता तो 250 रुपये डॉक्टरी इलाज का खर्च देना होगा।
- गर्भावस्था में काम के आखरी एक महीने में महिला से ऐसा काम नहीं कराया जा सकता जो उसे थका दे। लगातार लंबे समय तक खड़े होने या भारी वजन उठाने का काम नहीं कराया जा सकता है या ऐसा काम जिससे उसे दर्द हो या गर्भ में कोई तकलीफ हो नहीं कराया जा सकता।

- गर्भ गिर जाने पर भी 6 सप्ताह की वेतन सहित छुट्टी देना जरूरी है।

- जचकी के समय दिए जाने वाले अवकाश के समय महिला किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकती है।
- ये सुविधाएँ किसी महिला को उसी समय मिल सकती हैं जबकि उसने उसी मालिक के यहाँ सालभर में कम से कम 80 दिन काम किया हो।

? यदि कोई मालिक गर्भवती महिला को कानून द्वारा निश्चित सुविधाएँ न दे तो किससे शिकायत की जा सकती है ?

यदि कोई मालिक गर्भवती स्त्री को जचकी संबंधी सुविधाएँ देने से इंकार कर दे तो श्रम निरीक्षक (लेबर इंस्पेक्टर) से इसकी शिकायत की जा सकती है। ये सुविधाएँ न देने वाले मालिक को सजा और जुर्माना हो सकता है।

? कामकाजी महिलाओं को कानून द्वारा और कौन-कौन सी सुविधाएँ दी गई हैं?

कारखाने में काम करने वाली महिलाओं को कानून द्वारा कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई हैं-

- महिलाओं के लिए अलग से स्नानगृह और शौचालय होने चाहिए।
- जहाँ 30 से अधिक महिलाएँ काम करती हों वहाँ छोटे बच्चों की देखभाल के लिए झूलाघर होना चाहिए।
- महिलाओं से निश्चित वजन से ज्यादा वजन नहीं उठवाया जा सकता।
- महिलाओं से चालू मशीन को साफ करवाना या तेल डलवाना मना है।

? क्या किसी मजदूर की काम के दौरान मृत्यु होने पर उसके वारिसों को मुआवजा मिल सकता है ?

हाँ, काम के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु होने पर निम्नलिखित लोगों को

मुआवजा मिल सकता है-

- मृतक का पति या उसकी विधवा
- नाबालिग बेटे
- नाबालिग, अविवाहित, विधवा बेटी
- अपाहिज बेटा/बेटी
- उस पर आश्रित अन्य रिश्तेदार
- पिता
- नाजायज बच्चे
- नाबालिग भाई
- अविवाहित बहन, नाबालिग विधवा बहन

? किस तरह की चोटों के लिए मुआवजा मिल सकता है?

काम के दौरान सभी चोटों के लिए मुआवजा मिलता है। जैसे-

- अंग कट जाना
- आँखों की रोशनी चले जाना
- कमाने की शक्ति चले जाना या कम हो जाना
- ऐसी चोट जिसे ठीक होने में तीन दिन से अधिक समय लगे।

? किसी को चोट लगने पर कितना मुआवजा मिलेगा ?

मुआवजे की राशि नीचे दी गई बातों पर निर्भर है -

- चोट कैसी है
- काम करने वाले की कमाई
- काम करने वाले की उम्र
- उसकी कार्यक्षमता में कमी की मात्रा।

? क्या काम के दौरान काम से संबंधित कोई बीमारी लगने पर भी मुआवजा मिल सकता है ?

यदि काम के कारण व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी लग गई हो जिसके कारण मजदूर की काम करने की शक्ति कम हो गई हो या खत्म हो गई हो तो मजदूर को मुआवजा या हर्जाना मिलेगा।

? क्या काम छोड़ने के बाद काम से संबंधित बीमारी लगती है तो मुआवजा मिल सकता है ?

यदि नौकरी छोड़ने के 2 साल के अन्दर ही काम करने वाले को काम से संबंधित बीमारी लग जाती है तो मालिक को उसे मुआवजा देना पड़ेगा।

? अपने मालिक से मुआवजा लेने के लिए क्या करना होगा ?

- अपने मालिक से मुआवजा लेने के लिए दुर्घटना के तुरन्त बाद मालिक को एक नोटिस देना होगा। इस नोटिस में अपना नाम, चोट का कारण, दुर्घटना की तारीख तथा कारण लिखना होगा।

- अगर मालिक मुआवजा देने से इंकार करे या कम मुआवजा दे तो लेबर कोर्ट में कमिश्नर को एक अर्जी देनी होगी।
- यह अर्जी दुर्घटना के 2 साल के अन्दर देनी होगी।
- महिला कामगार या नाबालिग कामगार को मुआवजे की रकम दी जा रही हो तो यह रकम कमिश्नर के द्वारा दी जा सकती है।
- अगर कामगार की मृत्यु हो गई हो तो उसके वारिसों को मुआवजे की रकम कमिश्नर के द्वारा दी जाएगी।

(?) दुर्घटना के बाद मुआवजा पाने के लिए कार्यवाही किस तरह की जाए ?

- दुर्घटना के तुरन्त बाद डॉक्टरी जाँच कराएँ। सरकारी डॉक्टर हो तो बेहतर होगा। डॉक्टरी रिपोर्ट की कापी ले लें। यदि मालिक भी डॉक्टरी जाँच कराना चाहे तो करवा लें।
- मालिक को तुरन्त सूचना दें।
- पास के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएँ और उसकी एक कापी ले लें।
- यदि खुद थाने में नहीं जा सकते तो किसी को भेजकर रिपोर्ट लिखवाएँ।
- रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण, स्थान और समय की जानकारी दें।
- डॉक्टरी रिपोर्ट, थाने की रिपोर्ट और दुर्घटना के गवाह प्रस्तुत (पेश) करना मुआवजा लेने के लिए जरूरी है।

अध्याय - पांच

महिला सुरक्षा कानून

? महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए क्या कोई विशेष कानून बने हैं?

हाँ, महिलाओं एवं बालिकाओं की अत्याचारों से सुरक्षा के लिए पुराने कानूनों में संशोधन किए गए हैं तथा कुछ कानून भी बनाए गए हैं।

? महिलाओं की सुरक्षा कानून के मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

- किसी महिला के साथ बलात्कार करने पर सात से दस साल तक की सजा एवं जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।
- किसी महिला का शील भंग करने पर, उसकी शालीनता के खिलाफ शब्द बोलने पर, हाव-भाव या भद्दे इशारे करने पर या उस पर आक्रमण करने पर सजा तथा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- किसी शादीशुदा महिला को फुसलाकर ले जाना, उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार, किसी महिला को खरीदना व बेचना कानूनन अपराध है। इसके लिए भी कानून द्वारा सजा व जुर्माना हो सकता है।
- पत्नी के साथ मारपीट करने और उसके कारण चोट लगने पर 1 से 7 साल तक की सजा तथा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- किसी महिला से उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात कराने पर 10 साल की सजा या जुर्माना या आजीवन कैद भी हो सकती है।
- किसी महिला का अपहरण करना, उसे जबर्दस्ती रोककर रखना या

उसके साथ जबर्दस्ती शादी करने पर भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- एक महिला को ऐसे हमलावर को जान से मारने का अधिकार है जिसने बलात्कार की नीयत से उस पर हमला किया हो।
- अगर किसी महिला के साथ शील भंग, यौन हिंसा या बलात्कार की घटना हुई है तो उसका नाम छापना अपराध है। इसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- किसी महिला का अश्लील प्रदर्शन या विज्ञापन करना दंडनीय अपराध है।

? नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं ?

- नाबालिग बच्चियों को चुराना, बेचना, उनसे भीख मँगवाना या वेश्यावृत्ति कराना कानूनन अपराध है। इसके लिए कानून द्वारा सात से दस साल तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- पत्नी 15 साल से कम उम्र की होने पर पति द्वारा किए गए संभोग को बलात्कार माना जाएगा। इसके लिए उसे 7 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

? किसी महिला के साथ बलात्कार होने की दशा में क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

- किसी महिला के साथ बलात्कार होने की दशा में महिला खुद या उसके सगे

संबंधी (रिश्तेदार) पुलिस को तुरन्त शिकायत करें।

- उसके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी।
- बलात्कार का अपराधी पुरुष को माना जाएगा, चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो।
- महिला बलात्कार का विरोध अवश्य करे।
- अगर गाँव में पुलिस स्टेशन न हो तो गाँव के या आसपास के गाँव के किसी डॉक्टर से पीड़ित महिला की जाँच करवाकर रिपोर्ट ले लें। महिला की जाँच केवल डॉक्टर ही कर सकता है कोई और नहीं।
- डॉक्टरी जाँच होने के पहले न तो पहने हुए कपड़े धोएँ न ही उन्हें बदलें।
- पुलिस से रिपोर्ट की एक प्रति ले लें।
- यदि पुलिस रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दे तो पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की जा सकती है।
- किसी समाजसेवी संस्था या समाचार पत्र को भी पत्र लिखकर इस घटना की जानकारी दी जा सकती है।
- रिपोर्ट लिखवाने के बाद जाँच का पूरा काम पुलिस करेगी तथा कोर्ट में सरकारी वकील केस लड़ेगा। अगर महिला चाहे तो अपनी ओर से वकील कर सकती है, जो सरकारी वकील की मदद करेगा।

बलात्कार की घटना छुपाने के बजाय बलात्कारी की शिकायत जरूर करें ताकि अपराधी को सजा मिल सके तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम हो सके।

अध्याय – छह

घरेलू हिंसा

? क्या घरेलू हिंसा व अत्याचार की शिकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून है?

हाँ, सितम्बर 2005 से 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम' लागू कर दिया गया है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा दिलवाना है।

? इस नियम में कौन-कौन से अत्याचार आते हैं ?

- इस अधिनियम के अनुसार परिवार में किसी भी महिला के साथ उसके पति या परिजनों (रिश्तेदारों) द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार जिसमें महिला को शारीरिक, मानसिक पीड़ा या यातना दी जा रही हो हिंसा माना जाएगा।
- महिला पर हिंसक हमला, उसके साथ अनैतिक आचरण, दुराचरण या मौखिक धमकी सहित सभी प्रकार की क्रूरता इसमें शामिल है।

? हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है ?

महिला स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की जानकारी मिले वह शिकायत कर सकता है।

? यह शिकायत कहाँ की जाती है ?

हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी, पुलिस या मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है।

? सूचना देने के कितने समय बाद कार्यवाही होती है ?

आरोपी को दो दिन में ही आरोप पत्र दिया जाता है।

? क्या पीड़ित को मुआवजा भी मिलता है ?

हाँ, मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला को मुआवजा दिला सकता है। मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश जारी कर संरक्षण अधिकारी को अनुपालन करने का आदेश दे सकता है।

? आरोपी ने यदि आदेश नहीं माना तो ?

यदि आरोपी निर्णय का पालन नहीं करता है तो उसे कैद एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

? इस नियम के अन्तर्गत महिला को क्या-क्या सुविधा प्राप्त है ?

कानून में महिला की चिकीत्सीय जाँच, कानूनी मदद और संरक्षण गृह में सुरक्षित रखे जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

? क्या महिला के शिकायत करने पर उसे घर से निकाला जा सकता है ?

नहीं, पीड़ित महिला को शिकायत करने पर घर से नहीं निकाला जा सकता।

? क्या महिला के धन, आभूषण व अन्य सामान की सुरक्षा संभव है ?

हाँ, उसके धन, आभूषण व अन्य सामान की सुरक्षा के आदेश मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है।

? महिला अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की शिकायत कहाँ दर्ज करवा सकती है ?

प्रत्येक जिले में एक महिला थाना स्थापित किया गया है । जहाँ महिला बिना

किसी संकोच, डर या दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इस थाने में सभी अधिकारी महिलाएँ ही होती हैं।

? शिकायत किस तरह दर्ज कराएँ–

- अपनी शिकायत सादे कागज पर लिखकर दी जा सकती है।
- शिकायत की एक प्रति पर थाने के अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर सील लगवा लें। इसे शिकायतकर्ता अपने पास रखे जिससे यह मालूम हो सके कि क्या कार्यवाही हो रही है ?(या कार्यवाही हो भी रही है या नहीं ?)
- खुद थाने जाकर अपनी समस्या बताकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस शिकायत की प्रति भी अपने पास रखने का अधिकार शिकायतकर्ता को है। यह रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) कहलाती है। इसको संभालकर रखना चाहिए।
- थाने में शिकायत रजिस्टर्ड डाक से भी भेजी जा सकती है। इस रजिस्टर्ड डाक की जो रसीद प्राप्त होगी उसको संभालकर रखना चाहिए।

? महिलाओं की स्वीकृति के बिना गर्भपात करवा दिया जाता है, तब किसको अपराधी माना जाए ?

गर्भपात करने वाला डॉक्टर तथा गर्भपात करवाने वाला दोनों ही अपराधी होते हैं। इस अपराध के लिए आजीवन कारावास या दस साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकता है। कानून के आधार पर ऐसे अपराधी को बगैर वॉरन्ट के पुलिस गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सकती है।

अध्याय - सात

कुटुम्ब (परिवार) न्यायालय

(?) कुटुम्ब न्यायालय क्या है ?

(उ) महिलाओं की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में एक परिवार न्यायालय है, जो कुटुम्ब न्यायालय कहलाता है। इस न्यायालय में महिला तथा उसके परिवार से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है।

(?) इस न्यायालय में किस प्रकार की शिकायत दर्ज की जा सकती है ?

(उ) महिला अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दे सकती है। यदि महिला स्वयं अपने केस की पैरवी कर सकती है तो उसे किसी वकील की जरूरत नहीं होती।

(?) कुटुम्ब न्यायालय किस तरह महिलाओं की मदद करता है ?

(उ)
- शासन द्वारा गरीब, असहाय महिलाओं के लिए विधिक सहायता निःशुल्क प्रदान की गई है। इस सुविधा को लेने के लिए न्यायालय को एक आवेदन देना होगा जिसमें अपने केस की पैरवी करने में असमर्थता तथा विधिक सहायता द्वारा वकील नियुक्त करने के बारे में लिखना होगा।
- महिला जहाँ रह रही हो वहाँ अपने पति द्वारा लगाए गए तलाक के केस को स्थानांतरित कर सकती है।
- पति दूसरी जगह रहता हो एवं उसने तलाक का केस लगाया हो तो महिला उसे अपने रहने वाली जगह पर स्थानांतरित करवा सकती है।
- पति ने महिला के खिलाफ केस लगा रखा हो तो महिला जिस स्थान से आती

है, उसके आने-जाने का व्यय पति को वहन करना पड़ेगा। यह व्यय न्यायालय द्वारा तय किया जाता है।

- तलाक का केस वहाँ लगाया जाता है, जहाँ पति रहता हो या जहाँ पति-पत्नी अंतिम बार साथ-साथ निवासरत रहे हों।
- तलाक लेने के लिए एक वर्ष की अवधि तक पति-पत्नी को अलग -अलग रहना आवश्यक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष से कम समय में भी तलाक लिया जा सकता है।

? क्या महिलाएँ उनके द्वारा किए गए विज्ञापनों के असभ्य, अश्लील प्रदर्शन पर कहीं शिकायत दर्ज कर सकती हैं ?

हाँ, उनके लिए अधिनियम 1986 है। यह अधिनियम दिनांक 2 अक्टूबर, 1987 से लागू किया गया है।

? इस अधिनियम में क्या-क्या शामिल है ?

विज्ञापनों के अन्तर्गत कोई नोटिस, परिपत्र, लैबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज तथा उसमें प्रकाश, ध्वनि, धुआँ या गैस के माध्यम से किया गया कोई (सीन) सम्मिलित होगा जो महिला का अश्लील या असभ्य चित्रण करता है। इस तरह के अश्लील विज्ञापन करने वाले को 1 माह से 5 वर्ष तक जेल की सजा तथा 2000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

कोई भी अपराध या अत्याचार होने पर उसे छुपाएँ नहीं, उसकी शिकायत थाने में दर्ज जरूर कराएँ। थाने में अकेले जाने के बजाय साथ में अपने किसी रिश्तेदार या पड़ौसी महिला को साथ ले जाएँ। अपराध की शिकायत दर्ज कराने पर ही उसके रोकथाम की कार्यवाही हो सकती है एवं अपराधी को सजा दिलाई जा सकती है।

कानूनी जागरूकता सम्बन्धी हमारे प्रकाशन

• मजदूरी कानून	कानून से संबंधित जानकारी	9.50
• हिन्दू विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी	7.50
• भरण–पोषण कानून	कानून से संबंधित जानकारी	7.50
• हिन्दू उत्तराधिकार कानून	कानून से संबंधित जानकारी	7.50
• हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य	नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित जानकारी	7.50
• फौजदारी कानून	फौजदारी कानून की जानकारी	8.50
• बालश्रम कानून	बालश्रम कानून की जानकारी	10.50
• उपभोक्ता संरक्षण कानून	उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी	10.50
• साहूकारी अधिनियम	साहूकारी अधिनियम की जानकारी	8.50
• बंधुआ मजदूरी कानून	बंधुआ मजदूरी कानून की जानकारी	8.50
• कारखाना अधिनियम	कारखाना अधिनियम की जानकारी	8.50
• लिंग परीक्षण अधिनियम	लिंग परीक्षण अधिनियम की जानकारी	7.50
• समान वेतन अधिनियम	समान वेतन कानून की जानकारी	7.50
• न्याय की राह	बलात्कार कानून की जानकारी	7.50
• अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण कानून	अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण कानून की जानकारी	9.00
• मोटरयान अधिनियम	मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति कानून की जानकारी	8.00
• हमारे जंगल – हमारी धरोहर	वन संरक्षण अधिनियम की जानकारी	8.50
• निशुल्क विधिक सहायता	निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी	7.00
• मुस्लिम विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी	8.50
• कृषि उपज मंडी अधिनियम	कानून से संबंधित जानकारी	9.00
• अनैतिक व्यापार अधिनियम	कानून से संबंधित जानकारी	9.00
• भारतीय ईसाई विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी	8.00

प्रकाशक : राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म.प्र.)
महालक्ष्मी नगर, सेक्टर 'आर', इन्दौर (म.प्र.)-452010, फोन : 2551917, 2574104 फैक्स : 0731-2551573
e-mail : srcindore@dataone.in ♦ literacy@satyam.net.in
मुद्रक : कलर ग्राफिक्स, इन्दौर ● फोन : 4071411